E-Mail.

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 46 / 23 / 460 भोपाल दिनांक 07 जून, 2016

प्रति,

अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय – – – –– (समस्त)

विषयः प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में रिक्त सुविधाजनक स्थानों पर पौधारोपण का अभियान।
संदर्भः कार्यालयीन पूर्व पत्र क्रमांक 742 दिनांक 20.08.14.

—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें मध्यप्रदेश शासन भोपाल का पृष्ठां0 पत्र क्रमांक एल–25–04 / 2006 / 10–2 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के अनुसार अपने संभाग के मण्डी प्रांगणों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे मंडी में आने वाले कृषकों को वृक्ष के छांव की सुविधा प्राप्त हो सके। वृक्षारोपण हेतु आवश्यक होने पर वन एवं उद्यानिकी विभाग का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन लिया जा सकता है। वृक्षारोपण हेतु नीम, पीपल, आम आदि घने वृक्ष लगाने का प्रयास किया जावे जिससे उपरोक्त वृक्ष लम्बे समय तक लगे रहकर छाया हेतु अधिक उपयोगी हो सके। साथ ही दलदली भूमि होने पर उस स्थान पर यूकोलिपट्स के वृक्ष भी लगाये जावे जिससे वहां पर यह उपयोगी हो सके। वन विभाग द्वारा भी सामाजिक वानिकी योजना में निःशुल्क वृक्षारोपण एवं पौधों का प्रदाय किया जाता है।

वृक्षारोपण मंडी की बाउण्ड्रीवाल से लगभग 5–6 फिट की दूरी पर करें ताकि बाउण्ड्री को नुक्सान न हो सके। वृक्षारोपण कर उसकी सुरक्षा हेतु प्रबंध भी सुनिश्चित करे, जिससे पशुओं से उसकी रक्षा की जा सके। इस कार्य हेतु मंडी समिति के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ ही मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों एवं आमजन का भी जनसहयोग प्राप्त किया जा सकता

है। वृक्षारोपण हेतु कम से कम राशि का व्यय हो इसका पालन भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आपके अधीनस्थ मंडियों के साथ ही आपके संभागीय कार्यालय में भी सुविधाजनक रिक्त स्थान होने पर वृक्षारोपण की कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वृक्षारोपण की तैयारी	**30 जून, 2016 तक**
वृक्षारोपण कार्यक्रम	**01 जुलाई से 15 जुलाई,16 तक अनिवार्यतः**

(अरूण पाण्डेय)
वि0कर्त0अधि0 सह आयुक्त
मंडी–सह प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

पृष्ठा0 क0 मंडी / प्रांगण / विविध / 46 / 23 / 461 भोपाल,दिनांक 07/06/16
प्रतिलिपि :–

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, – – – – – जिला – – – – – – (समस्त) की ओर आवश्यक कार्रवाई।

वि0कर्त0अधि0 सह आयुक्त
मंडी–सह प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।